संख्या-94/2019/4246/सैंतीस-2-2019-1(39)/2018

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-06 दिसम्बर, 2019

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-81 के अधीन रूरल बैकयार्ड योजना-सूकर पालन योजनान्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश को संशोधित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-29/प0-1/एन.एल.एम./81-रूरल बैकयार्ड सूकर विकास/19-20, दिनांक-06.11.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-83/2019/3776/सैंतीस-2-2019-1(39)/2018, दिनांक-14.10.2019 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-81 के अधीन रूरल बैकयार्ड योजना-सूकर पालन योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में कुल रू0-15.87 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में अंकित "लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-02-राष्ट्रीय पशु प्रबन्धन कार्यक्रम-0203-रूरल बैकयार्ड योजना-सूकर पालन (के.60/रा.40-के.+रा.)" के स्थान पर "लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-02-राष्ट्रीय पशु प्रबन्धन कार्यक्रम-0203-रूरल बैकयार्ड योजना-सूकर पालन (के.60/रा.30/ला.10-के.+रा.)" पढ़ा जाये।

2- शासनादेश दिनांक-14.10.2019 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-1107/दस-2019, दिनांक-05.12.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

पृ0सं0-94/2019/4246(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), भारत सरकार, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in